परिशिष्ट - अ

[24/2/2021]

सचिव :–

प्रश्न सं. [क्र. 930]

8. जिले का कलेक्टर समिति का सचिव होगा तथा समिति का अभिलेख रखने, चर्चाओं का अभिलेख तैयार करने तथा समिति के विनिश्चयों को संसूचित करने तथा उससे संसक्त अन्य सभी आनुषंगिक मामलों के लिए जिम्मेदार होगा.

उप समितियों का गठन :–

9. (1) समिति इस अधिनियम के अधीन उसको सौंपे गये एक या अधिक कृत्यों के निर्वहन के लिए उप समितियों का गठन कर सकेगी, जिनमें समिति के सदस्य ओर स्थाई विशेष आमंत्रित होंगे ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित विशिष्ट प्रयोजनों के लिए उप समितियां विहित रीति में गठित की जाएगी :–

(एक) जिले में रोजगार के अवसरों के सृजन को मानीटर करने तथा स्वरोजगार सृजित करने वाली स्कीमों को सम्मिलित करते हुए रोजगार के अवसर सृजित करने वाली स्कीमों के कार्यान्वयन का समन्वय,करने के लिए;

(दो) अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों तथा अन्य कमजोर वर्गों के कल्याण की विशिष्ट स्कीमों के लिए योजना बनाने तथा उनका समन्वय करने के लिए.

समिति का सम्मिलन :–

10. (1) समिति का सम्मिलन वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित किया जाएगा.

(2) समिति के सम्मिलन नियत तारीख तथा समय पर जिला मुख्यालयों पर आयोजित किए जाएंगे.

(3) अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित सदस्य समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे.

(4) समिति अपने सम्मिलनों में उपस्थित होने के लिए विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकेगी.

(5) सम्मिलन में उपस्थित होने के लिए अशासकीय सदस्यों तथा विशेषज्ञों को ऐसा यात्रा–भत्ता तथा अन्य भत्ते जैसे कि विहित किए जाएं, संदत्त किए जाएंगें.

(6) राज्य सरकार द्वारा विरचित किसी नियम या जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांत के अध्यधीन रहते हुए समिति स्वयं अपनी प्रक्रिया विनियमित करेगी.